संख्याः /XI /2007 56(48)/ 2007

प्रेषक,

पी0के0 महान्ति,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग देहरादून दिनांक 04- सितम्बर,2007

विषयः जनपद नैनीताल के आठ विकास खण्ड कार्यालयों के प्रयोगार्थ प्रिन्टर –फोटो स्टेट– फैक्स मशीन कय हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 1616/4–नाजिर/ वि0प्र0 स्वी0/ 2007–08 दिनॉक 03 अगस्त,2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद नैनीताल के आठ विकास खण्ड कार्यालयों के प्रयोगार्थ प्रिन्टर– फोटो स्टेट– फैक्स मशीन के कय हेतु रू0 1,69,636/– (रूपये एक लाख उनहत्तर हजार छः सौ छत्तीस मात्र) की धनराशि को शासनादेश संख्याः 342/XI/07/ 56(18)2007 दिनॉक 11–6–2007 द्वारा प्रश्नगत योजना में आपके निवर्तन पर रखी धनराशि रू0 8019 हजार में से नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:–

(1)– योजना पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहॉ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

(2)– यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(3)– अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय।

(4)– उपकरणों का कय स्टोर पर्चेज रूल्स एवं शासन के विद्यमान नियमों, आदेशों तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका व बजट मैन्युअल का पालन सुनिश्चित करते हुए विभागीय कय समिति द्वारा डी.जी. एस.एण्ड.डी. दरों पर किया जायेगा। उक्त दरें उपलब्ध न होने

पर वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्रकिया का अनुपालन कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(5)- प्रश्नगत धनराशि के भुगतान से पूर्व कार्य स्थल पर उपकरण के स्थापित होने व सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपकरण का भली भाँति निरीक्षण,परीक्षण तथा विशिष्टियों से संतुष्टि पर किया जाय।

(6)- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय नियोजन विभाग द्वारा आवंटित परिव्यय की सीमा तक ही किये जाने का दायित्व आपका होगा।

(7)- मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-19 के अधीन लेखाशीर्षक 2501-ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय- आयोजनागत- 01-केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0104-जिला ग्राम्य विकास अभिकरण-43-वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्याः 168(P) वित्त अनुभाग-4 /2007 दिनाँक 18-9-2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पी0के0 महान्ति)
सचिव

संख्याः 617/ XI /2007 56(48)/ 2007 तददिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2- आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3- जिलाधिकारी, नैनीताल।
4- मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल।
5- निदेशक, कोषागार एवं वित्त लेखा, उत्तराखण्ड।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, नैनीताल।
7- निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री को मा0 मुख्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
8- निजी सचिव, मा0 मंत्री,ग्राम्य विकास को मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

9- एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10- नियोजन विभाग/वित्त विभाग/उत्तराखण्ड शासन।
11- जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, नैनीताल।
12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दमयन्ती दोहरे)
अपर सचिव ।